**संख्या-49/2021/1756 ई-2/तेरह-2021-01/2020-1419282**

प्रेषक,

**अनिल कुमार,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2021

**विषय: आबकारी नीति 2021-22 के परिपेक्ष्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में।**

महोदय,

कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में आबकारी वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित आबकारी नीति के कतिपय बिन्दुओं पर संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने विषयक अपने पत्र संख्या: जी-07/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/ 2020-21, दिनांक 30-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(i) देशी मदिरा की ऐसी दुकानें जो माह मई, 2021 में अपना निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. नहीं उठा सकीं, को माह मई, 2021 के एम.जी.क्यू. के उठान में आयी कमी को दिनांक 15 सितम्बर, 2021 तक पूरा कर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ii) बीयर की फुटकर दुकानों को वर्ष 2021-22 में गत् वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लेने की अनिवार्यता से दिनांक 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की जाती है।

(iii) विदेशी मदिरा की दुकानों एवं मॉडल शाप्स जिनके द्वारा वर्ष 2021-22 के प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ली गयी है, को प्रथम त्रैमास में हुई राजस्व में कमी के समतुल्य निकासी लेने की अनुमति बिना किसी दण्ड के दिनांक 31 दिसम्बर, 2021तक प्रदान की जाती है।

3. कृपया उपरोक्तानुसार यथास्थिति कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्य-योजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(अनिल कुमार)**
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in